नियम— 26

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी भादरा मुकाम भादरा

भगतराम   बनाम   धर्मपाल आदि

किस्म मुकदमा :—212 आरटीएक्ट   मुकदमा नम्बर :— 10/24

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
26.02.2024	उपरोक्त अनवान में जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त0 अधिनियिम 1955 में न्यायालय में पेश किया जिस पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गए। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में बताया कि प्रार्थी की कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि मौजा चक 8 बारानी पटवार हल्का डोभी भू.अ.नि. क्षेत्र भादरा तहसील भादरा के खाता संख्या 141/297 के मु0न0 45 के किला नं0 16,17,24 मु0न0 49 के किला नं0 3, 4, 7 ता 20 मु0न0 69 के किला नं0 17 कुल किता 20 की 5.0600है0 भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। उक्त भूमि पर प्रार्थी अपने परिवार के साथ निवास करता है तथा कृषि व पशुपालन से अपनी आजीविका निर्वहन करता है। इसी आराजी के चिपते मु0न0 69 के किला नं0 13, 14, 15, 16, 24/1, 25/1 की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिवाय चक काबिल काश्त की खाता संख्या 364/40 में राज्य सरकार के हक में दर्ज है लेकिन उक्त भूमि पर प्रार्थी का लम्बे समय से कब्जा काश्त है तथा प्रार्थी इस पर लम्बे समय से खेती करता आया है। प्रार्थी की खातेदारी व सिवाय चक की भूमि वर्तमान में कस्बा भादरा की आबादी के नजदीक होने से भूमाफियाओं की कुदृष्टि हमेशा से बनी रहती है। अप्रार्थीगण जो कि कस्बा भादरा के भूमाफिया लोग हैं तथा राजनैतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिन्होने आपस में मिलकर कई बदमाश प्रवृति के व्यक्तियों से सांठ गांठ करते हुए गिरोह बना रखा है जो उपरोक्त राजकीय सिवायचक भूमि पर खिलाफ कानून नाजायज तरीके से अतिक्रमण कर चारदीवारी का निर्माण कर रहे हैं तथा उपरोक्त सिवाय चक के साथ प्रार्थी की खातेदारी मु0न0 69 के किला नं0 17 की खातेदारी भूमि पर भी जबरन कब्जा कर निर्माण करने पर अमादा है। इससे प्रार्थी की खातेदारी भूमि व प्रार्थी के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है तथा प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में काश्त से वंचित किया जा सकता है जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होने की संभावना है साथ ही अप्रार्थीगण के खिलाफ आज से दो रोज पूर्व तहसीलदार भादरा को सिवायचक भूमि पर कब्जे को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया था जिस पर पटवार हल्का डोभी ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि ग्राम [illegible] खाता संख्या 364/40 के मु0न0 69 के किला नं0 13 ता 16, 24/1, 25/1 रकबा 1.265है0 बारानी शेष खाता बदस्तूर जमाबंदी सिवायचक काबिलकाश्त हिस्सा पूर्ण सिवायचक काबिल काश्त मुताबिक पटवार कागजात व राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। उक्त भूमि पर पक्का निर्माण कार्य मिस्त्री व मजदूरों द्वारा दीवार बना कर किया जा रहा है जिसे रूकवाकर, आईन्दा निर्माण कार्य नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया । उक्त मिस्त्री व मजदूरों ने अपना नाम बताने से इनकार किया व हस्ताक्षर करने से इनकार किया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2026.05.07 11:58:38 IST
Reason: SelfAttested

...व हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
22/12/25	वकील वादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप. पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते ..अवार्ड.. दिनांक ..2/2/26.. को पेश हो। [signature]	
2/2/26	वकील वादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप. पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते ..अवार्ड.. दिनांक ..10/4/26.. को पेश हो। [signature]	
10/4/26	पत्रावली पेश हुई। मूल वाद का निस्तारण होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 RT Act का आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अत: प्रार्थना पत्र 212 RT Act इसी स्तर पर खारिज किया जाकर पत्रावली नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2026.05.07 11:58:36 IST
Reason: SelfAttested